सं.**-5/7/10/**आईसीएमआर**-**ईओआई**/**सीरम फेरिटिन**/**आरसीएन**-2025**, दिनांक **17.01.2025**

सीरम फेरिटिन की मात्रा के निर्धारण के लिए लेटरल फ्लो आधारित प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस के विकास और विनिर्माण हेतु

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

के लिए

आमंत्रण

आईसीएमआर-मुख्यालय द्वारा

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार)
वी. रामलिंगस्वामी भवन,
पोस्ट बॉक्स सं. 4911, अंसारी नगर,
नई दिल्ली - 110029, भारत

विषय-सूची

क्र.सं.	अनुभाग	पृष्ठ संख्या
1	आमंत्रण पत्र	3
2	पृष्ठभूमि	4
3	उद्देश्य	4
4	कार्य का व्यापक दायरा	4
5	बौद्धिक संपदा अधिकार	6
6	साझेदारी/सहयोग/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में शामिल प्रक्रिया	6
7	प्रकाशन	7
8	डाटा अधिकार	7
9	प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	7
10	अस्वीकार के मानदंड	8
11	मूल्यांकन पद्धति	8
12	पूर्व–योग्यता मानदंड (पीक्यूसी)	8-9
13	दावा-छोड़ना	10
14	मध्यस्थता	10
15	पूछताछ के लिए संपर्क	10
16	हित की अभिव्यक्ति (प्रारूप – 1)	11-12
17	प्राधिकार पत्र (प्रारूप – 2)	13
18	काली-सूची से संबंधित वचनबद्धता (प्रारूप – 3)	14
19	दोष सिद्ध न होने से संबंधित वचनबद्धता प्रारूप – 4)	15
20	प्रयोगशाला सुविधा से संबंधित वचनबद्धता (प्रारूप – 5)	16
21	उत्पादन क्षमता वचनबद्धता (प्रारूप – 6)	17
22	अनुसूची क - प्रौद्योगिकी-विवरण	18

आमंत्रण-पत्र

1. अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ((आईसीएमआर), नई दिल्ली सीरम फेरिटिन की मात्रा के निर्धारण के लिए लेटरल फ्लो आधारित प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस के 'विकास और विनिर्माण' के लिए पात्र संगठनों, कंपनियों, निर्माताओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। फेरिटिन रक्त में आयरन की स्थिति एक महत्वपूर्ण बायोमार्कर है, जो रक्त के स्तर में आयरन की कमी होने पर आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का संकेत देता है।

योग्यता मानदंड, प्रस्तुतिकरण विवरण, संक्षिप्त उद्देश्य और कार्य की संभावना और मूल्यांकन मानदंड आदि के विवरण वाले ईओआई दस्तावेज़ आईसीएमआर की वेबसाइट (https://www.icmr.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रस्तावकों के लिए अनुसूची निम्नानुसार है:

ईओआई दस्तावेज़ संख्या	**सं.-5/7/10/आईसीएमआर-ईओआई/सीरम फेरिटिन/आरसीएम-2025**
प्रकाशन की तारीख	**17-01-2025**
जमा करने की अंतिम तारीख	**28-02-2025**

टिप्पणी:

इच्छुक आवेदक कृपया अपने प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

डॉ. तनिका लिंग्दोह,
वैज्ञानिक-ई, आरसीएन प्रभाग
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,
वी. रामलिंगस्वामी भवन,
पी.ओ. बॉक्स नंबर 4911,
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029, भारत।

इसकी एक सॉफ्ट कॉपी निम्नलिखित ईमेल आईडी पर भी भेजी जानी है:
icmr.adm@gmail.com

लिफाफे पर सुस्पष्ट अक्षरों में संपूर्ण पता के साथ "सीरम फेरिटिन की मात्रा के निर्धारण के लिए लेटरल फ्लो आधारित प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस के 'विकास और विनिर्माण' शीर्षक सहित ईओआई दस्तावेज़ "नंबर-5/7/10/आईसीएमआर-ईओआई/सीरम फेरिटिन/आरसीएन-2025 दिनांक 17.01.2025" ईओआई लिखा हुआ होना चाहिए।

आईसीएमआर इस ईओआई को रद्द करने और/या संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, ऐसे ईओआई के लिए किसी दायित्व या दायित्व के बिना और कोई कारण बताए बिना इसे नए सिरे से आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस स्तर पर प्रदान की गई जानकारी सांकेतिक है और आईसीएमआर ईओआई में किसी भी अन्य विवरण को संशोधित करने/जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि परिषद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित हो और इसकी वेबसाइट पर विधिवत अधिसूचित किया गया हो।

2. पृष्ठभूमि

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), नई दिल्ली, जैव चिकित्सा अनुसंधान के नियमन, समन्वय और प्रौन्नती हेतु भारत का एक प्रमुख निकाय है। यह संसार के प्राचीनतम आयुर्विज्ञान अनुसंधान निकायों में से एक है। आईसीएमआर ने एक ओर हमेशा ही जैव आयुर्विज्ञान अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रगति की बढ़ती मांगों को पूरा किया है, तो दूसरी ओर देश की स्वास्थ्य समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजने की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया है।

सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग (सीटीएल) कॉर्नेल विश्वविद्यालय का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय है, जिसका काम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवोन्मेषों और आयुर्विज्ञान की सफलताओं को सार्वजनिक लाभ के लिए मूर्त उत्पादों में परिवर्तित करता है। सीटीएल नए उद्यमों को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास का समर्थन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉर्नेल में विकसित ऐसा ही एक नवोन्मेष एनीमियाफोन नामक एक प्रौद्योगिकी है, जो देखभाल के बिंदु पर सीरम फेरिटिन के स्तर को मापकर आयरन की कमी का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उपकरण है (तत्पश्चात इसे "प्रौद्योगिकी" के रूप में संदर्भित किया गया है)। यह प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय कार्यक्रम में तैनात करने/वितरण के लिए विकसित की जाएगी और इसका व्यावसायीकरण नहीं किया जा सकेगा।

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इस उपकरण को भारत में विकसित करने और इसके विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्रौद्योगिकी और संबंधित सूचना को आईसीएमआर के साथ साझा करने का प्रयोजन रखती है। यह सहयोग भारत सरकार की एनीमिया मुक्त भारत की पहल और देश भर में एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रयासों का समर्थन करेगा।

इस प्रबंधन के अधीन, आईसीएमआर को डिजाइन, चित्र, योजनाबद्ध, विनिर्देश, भागों की सूची, अनुदेश, प्रक्रियाएं, दस्तावेज़ीकरण, प्रकाशन और प्रौद्योगिकी के डिजाइन, संचरना, विनिर्माण और संचालन से संबंधित अन्य सामग्रियों के साथ विस्तृत तकनीकी आंकड़े प्राप्त होगें। यह जानकारी चयनित स्थानीय निर्माताओं को प्रदान की जाएगी जो विशेष रूप से आयरन की कमी के आकलन के लिए एक उपकरण बनाने के लक्ष्य के साथ भारतीय संदर्भ के अनुरूप प्रौद्योगिकी को अपनाएंगे।

3. उद्देश्य

सीरम फेरिटिन की मात्रा के निर्धारण के लिए लेटरल फ्लो आधारित प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस विकसित करना और उसका निर्माण करना। (डिवाइस)

4. संभावित कार्य

i आईसीएमआर देखभाल के बिंदु पर फेरिटिन के स्तर और आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमियाफोन तकनीक पर आधारित उत्पाद/डिवाइस के विकास और निर्माण के लिए पात्र संगठनों, कंपनियों और निर्माताओं के साथ सहयोग करने का इच्छुक है।

ii कंपनी को इसे विकसित करने का अधिकार दिया जाएगा, तत्पश्चात 'उत्पाद' को बाहरी व्यवस्था के स्वतंत्र सत्यापन से गुजरना होगा। अनुमोदन प्राप्त करने और सत्यापन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, कंपनी "सीरम फेरिटिन

की मात्रा के निर्धारण के लिए लेटरल फ्लो आधारित प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस" का व्यापक स्तर पर निर्माण करने में संलिप्त हो सकती है।

iii कॉर्नेल विश्वविद्यालय के पास उपरोक्त प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकियों, विधियों और जानकारी में विशेषज्ञता है जिसका उपयोग एनीमिया के आकलन हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरण के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

आईसीएमआर की भूमिका:

i आईसीएमआर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ सभी चरणों में सीरम फेरिटिन की मात्रा के निर्धारण के लिए लेटरल फ्लो आधारित प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस के विकास के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उनके द्वारा इस तरह की तकनीकी निगरानी से उत्पाद के विकास और विनिर्माण में तेजी आएगी।

ii आईसीएमआर नियमों और शर्तों के अनुसार, यदि आवश्यक हुआ, तो सत्यापन की सुविधा भी प्रदान करेगा।

iii जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, आईसीएमआर पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी की भूमिका

i कंपनी के पास सीधे या अन्यथा, उत्पाद विकास और विनिर्माण/सत्यापन/स्केल-अप के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे/सामग्री/जनशक्ति प्रदान करने के लिए वैध प्रावधान होंगे।

ii कंपनी के पास एक सशक्त रूप में "सीरम फेरिटिन की मात्रा के निर्धारण के लिए लेटरल फ्लो आधारित देखभाल उपकरण" का यशाअपेक्षित विकास और विनिर्माण का कार्य करने का प्रावधान होगा।

iii कंपनी आईसीएमआर और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ तकनीकी डाटा साझा करने और पेशेवर और पारस्परिक रूप से सहमत तरीके से सभी चर्चाओं में भाग लेने के लिए सहमत है।

iv कंपनी आईसीएमआर और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के प्राधिकृत कर्मियों/वैज्ञानिकों/दल को आवश्यकता पड़ने पर विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला/उत्पादन सुविधा का दौरा करने की अनुमति देने के लिए सहमत है, जैसा कि इस ईओआई और उसके बाद के करार के तहत परिकल्पना की गई है।

5. बौद्धिक संपदा अधिकार

यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में, कॉर्नेल विश्वविद्यालय किसी भी अंतर्निहित बौद्धिक संपदा (ओं) और व्यावसायीकरण अधिकारों सहित उक्त प्रौद्योगिकी का एकमात्र मालिक है।

बौद्धिक संपदा (आईपी) का तात्पर्य-पेटेंट, आविष्कारों का अधिकार, कॉपीराइट और संबंधित अधिकार, नैतिक अधिकार, डिजाइन में अधिकार, ट्रेडमार्क में अधिकार, जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के अधिकार (जानकारी और व्यापार रहस्य सहित) और किसी भी अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रत्येक मामले में चाहे पंजीकृत हो या अपंजीकृत हो और इसमें सभी आवेदन (या आवेदन करने और दिए जाने के अधिकार), प्रभागीय, निरंतरता, आंशिक निरंतरता, पुनः जारी करना, नवीनीकरण या विस्तार, और

प्राथमिकता का दावा करने के अधिकार शामिल हैं, ऐसे अधिकार और सभी समान या समतुल्य अधिकार या सुरक्षा के रूप जो लाइसेंस प्राप्त पेटेंट में प्रकट विषय वस्तु से संबंधित संसार के किसी भी भाग में अभी या भविष्य में मौजूद हैं या रहेंगे।

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के पास कानूनी तौर पर 'प्रौद्योगिकी' का पूरा या आंशिक भाग अपने पास रखने या किसी भी पेटेंट(टों) या बौद्धिक संपदा अधिकार(रों) या आविष्कार(ओं) सहित प्रौद्योगिकी का पूरा भाग या एक भाग अपने विवेक से सौंपने का अधिकार है।

6. साझेदारी/सहयोग में शामिल प्रक्रिया

इच्छुक कंपनियों/निर्माताओं को उत्पाद के विकास और विनिर्माण के लिए आईसीएमआर और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस ईओआई के तहत, जो निर्माता/कंपनियां उत्तरदायी हैं और जो सभी तकनीकी जरूरतों को पूरा करती/करते हैं, उन्हें उनकी अनुसंधान एवं विकास योजना, सुविधाओं और क्षमताओं के आधार पर अल्प सूचीबद्ध किया जाएगा। उत्पाद(उत्पादों) के विकास और विनिर्माण के लिए एमओए/एमओयू/करार के निष्पादन के लिए केवल योग्य कंपनियों/निर्माताओं से ही संपर्क किया जाएगा।

7. प्रकाशन

कॉर्नेल और आईसीएमआर के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्यों से उत्पन्न प्रकाशनों (यदि कोई हो) में रचनाकार्यता(ऑथर्शिप) का उचित लाभ दिया जा सकता है

8. डाटा का अधिकार

i) डाटा के अधिकार विशेष रूप से आईसीएमआर और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के पास होंगे।

ii) ऐसे मामलों में डाटा का अधिकार जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल है, का निपटान अलग से किया जाएगा। कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि डाटा को गुप्त, गोपनीय रखा जाए और ऐसे आंकड़ों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

9. प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

प्रस्तावकों से अनुरोध है कि वे सभी पूर्व-योग्यता आवश्यकताओं, निष्पादन के लिए कार्य के दायरे और अभिरूचि प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी क्षमताओं से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करे, जो आईसीएमआर के सत्यापन के अधीन हैं।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ निम्नानुसार हैः

i घोषणा - अभिरूचि की अभिव्यक्ति (प्रारूप - 1)
ii प्राधिकार-पत्र (प्रारूप - 2)
iii काली सूची में डालने से संबंधित वचनबद्धता (प्रारूप-3)
iv दोष सिद्ध न होने से संबंधित वचनबद्धता (प्रारूप - 4)
v प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत लगाई गई मोहर और हस्ताक्षरित ईओआई दस्तावेज़।
vi प्रयोगशाला सुविधा से संबंधित वचनबद्धता (प्रारूप - 5)
vii उत्पादन क्षमता वचनबद्धता (प्रारूप-6)
viii सहायक दस्तावेज़, जैसा कि प्रारूप-1 में उल्लिखित है
ix एमएसएमई प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

x व्यवसायिक योजना पर अवधारणा नोट- अनुसंधान एवं विकास, नैदानिक अध्ययनों, योजना और निष्पादन, उत्पादन, विपणन आदि पर एक संक्षिप्त अवधारणा नोट, समय-रेखा के साथ (5 पृष्ठों से अधिक नहीं)

xi कोई अन्य जानकारी, जो प्रस्तावक ईओआई के समर्थन में प्रदान करना चाहे।

आईसीएमआर व्यापक दायरे तक सीमित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कॉल/संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जहां भी मूल्यांकन में उचित निर्णय के लिए ऐसा स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो जाता है।

10. अस्वीकार -मानदंड

आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, यदि

i प्रस्ताव ईओआई में उल्लेखित की गई आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो

ii निर्धारित प्रारूप में नहीं है, तो

iii उचित रूप से मोहर न लगी हो और उचित हस्ताक्षर नहीं किए गए हो, तो

iv आवेदन निर्धारित तारीख एवं समय की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ है, तो

v सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ पूर्व-योग्यता मानदंड (पीक्यूसी) के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो

vi प्रस्ताव किसी भी भौतिक विचलन के बिना काफी हद तक उत्तरदायी होगा, ऐसा न होने पर प्रस्ताव को सामान्य तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

vii दस्तावेज़ की शर्तों को पूरा न करने वाले आवेदनों को सामान्य तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

viii कोई भी अन्य गैर-अनुपालना।

11. मूल्यांकन-पद्धति

ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर ईओआई की स्क्रीनिंग की जाएगी।

12. पूर्व-योग्यता मानदंड (पीक्यूसी)

निम्नलिखित न्यूनतम पूर्व-योग्यता मानदंड (पीक्यूसी) होंगे। न्यूनतम PQC को पूरा न करने वाली प्रतिक्रियाओं को सामान्यता तौर पर रद्द कर दिया जाएगा और उनका आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा:

क्र.सं. संख्या	पूर्व-योग्यता मानदंड (सामान्य)	अपेक्षित दस्तावेजों की सहायक प्रति (सभी दस्तावेज प्रस्तावक के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व-सत्यापित होने चाहिए
सामान्य मानदंड		
1	प्रस्तावक एक कानूनी इकाई होगी, जो भारत में संबंधित अधिनियमों के तहत संस्थान/कंपनी/एलएलपी/सोसाइटी/साझेदारी फर्म/ स्वामित्व फर्म के रूप में पंजीकृत होगी और भारत के प्रवृर्त्तको द्वारा कंपनी की 51% से अधिक हिस्सेदारी होगी।	फर्म/संगठन का पंजीकरण/कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) से कंपनी निगमन प्रमाण-पत्र/साझेदारी विलेख आदि, जो भी लागू हो

2	प्रस्तावक को कराधान और अन्य प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ भारत में पंजीकृत होना चाहिए	जीएसटी पंजीकरण या जीएसटी छूट प्रमाण पत्र/पैन कार्ड
3	प्रस्तावक के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास और विनिर्माण और/या अनुसंधान एवं विकास का पूर्व अनुभव होना चाहिए, या तो इन-हाउस या सहमति सहयोग के माध्यम से और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अतीत में समान उत्पादों के विपणन का अनुभव होना चाहिए।	शोध पेपर/पैम्फलेट/उत्पाद का बाउचर/मौजूदा उत्पाद के लिए डीसीजीआई लाइसेंस। सहयोग के लिए सहायक दस्तावेज़, यदि कोई हो।
4	प्रस्तावक को लाभदायक होना चाहिए और पिछले तीन (3) वर्षों में समग्र रूप से कोई हानि नहीं हुई हो। (केवल वाणिज्यिक फर्मों/संगठनों पर लागू)	संगठन के चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र/पिछले तीन वित्तीय वर्षों का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र या या आयकर रिटर्न
5	प्रस्तावक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और वर्तमान में किसी भी केंद्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो / प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। (केवल वाणिज्यिक फर्मों/संगठनों पर लागू)।	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावक के पत्र-शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षरत और मुहर के साथ वचनबद्धता (प्रारूप - 3 के अनुसार)।
6	प्रस्तावक की भारत में विनिर्माण ईकाई होनी चाहिए।	पंजीकरण प्रतियां/फ़ैक्टरी लाइसेंस/ डीएसआईआर प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।
7	प्रस्तावक और उसके प्रवर्तकों को पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में किसी भी सक्षम न्यायालय या न्यायिक निकाय द्वारा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो।	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावक के पत्र-शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षर और मुहर के साथ वचनबद्धता (प्रारूप - 4 के अनुसार)।
8	विनिर्माण सुविधा का जीएमपी/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र (आईएसओ या अनुमोदित भारतीय प्रमाण-पत्र) और अनुसंधान एवं विकास के लिए जीएलपी/अनिवार्य प्रमाण-पत्र	प्रमाण-पत्रो की प्रतियां

विशिष्ट मानदंड (प्रस्तावों की प्रकृति के आधार पर)		
9	उत्पाद विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास करने के लिए प्रस्तावक के पास प्रकार्यात्मक प्रयोगशाला होनी चाहिए।	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावक के पत्र-शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षर और मुहर के साथ वचनबद्धता (प्रारूप - 5 के अनुसार)।
10	प्रति सप्ताह कम से कम ..... (मात्रा) उत्पादन करने की क्षमता	वचनबद्धता (प्रारूप-6 के अनुसार)

नोट- एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए, स्टार्ट-अप-इंडिया, मेक-इन-इंडिया और भारत सरकार के अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देश लागू होंगे।

13. दावा-छोड़ना

i विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए आईसीएमआर जिम्मेदार नहीं होगा, कारण चाहे जो भी हो।

ii आईसीएमआर बिना कोई कारण बताए ईओआई के लिए कॉल रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iii आईसीएमआर इस दस्तावेज़ में निर्धारित कोई भी शर्त को बिना कोई कारण बताए आईसीएमआर के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझे जाने पर छूट दे सकता है।

iv प्रस्तावकों से परामर्श करने के पश्चात या अन्यथा किसी भी समय कार्य के दायरे में कोई अन्य वस्तु शामिल करना।

v अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए, कृपया ध्यान दें कि ईओआई और अन्य अनिवार्य पत्राचार केवल अंग्रेजी में ही प्रस्तुत करने होंगे।

14. मध्यस्थता

किसी भी विवाद और/या विवाद के किसी भी भाग, जिसका आपसी परामर्श के माध्यम से समाधान नहीं किया जा सकता है, उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके बाद हुए किसी भी संशोधन के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान और शहर नई दिल्ली होगा और नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के न्यायायिक विशेषाधिकार के अधीन होगा।

15. संपर्क

अपेक्षित किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में , कृपया संपर्क करें:

icmr.adm@gmail.com

वैज्ञानिक मुद्दों के लिए:

lyngdoh.t@icmr.gov.in

स्वरूप -1

अभिरूचि की अभिव्यक्ति
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर जमा किया जाए)

सेवा में,

महानिदेशक,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,
अंसारी नगर, नई दिल्ली।

विषय: सीरम फेरिटिन की मात्रा निर्धारण के लिए लेटरल फ्लो आधारित प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस के विकास और विनिर्माण के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत करना।

संदर्भ: क्रमांक-5/7/10/आईसीएमआर-ईओआई/सीरम फेरिटिन/आरसीएन-2025 दिनांक 17.01.2025

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी ने आपके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित सभी ईओआई दस्तावेजों को विस्तार से पढ़ा और जांच की है, और इसके द्वारा ईओआई दस्तावेज़ में यथा उल्लिखित उत्पाद के अनुसंधान और विकास/विनिर्माण/बिक्री/व्यावसायीकरण करने में अपनी इच्छा व्यक्त की है। कंपनी और संपर्क व्यक्ति का विवरण निम्नानुसार है:

प्रस्तावक का नाम	
पता	
व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता (जिस पर सभी पत्राचार किया जाएगा)	
दूरभाष नंबर (एसटीडी कोड सहित)	
संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर	
संपर्क व्यक्ति की ईमेल आईडी	

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं:

क्रं.सं.	आपेक्षित दस्तावेज़	संलग्न दस्तावेज़ का प्रकार	पृष्ठ संख्या
1	आरओसी/साझेदारी विलेख आदि से कंपनी निगमन प्रमाण-पत्र।		
2	जीएसटी पंजीकरण या जीएसटी छूट प्रमाण पत्र/पैन कार्ड		
3	बाजार में उपलब्ध मौजूदा उत्पादों के लिए डीसीजीआई/सीडीएससीओ लाइसेंस		
4	संगठन के चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र/पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, आयकर रिटर्न।		
5	भारत में एक पंजीकृत कार्यालय और एक विनिर्माण इकाई का साक्ष्य, जिसमें डीएसआईआर प्रमाण-पत्र भी शामिल है		
6	जीएमपी/जीएलसी और आईएसओ प्रमाण-पत्र। दोनों की पंजीकरण प्रतियां		
7	प्राधिकार-पत्र	प्रारूप-2 के अनुसार	
8	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावक के पत्र-शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर सहित वचनबद्धता	प्रारूप-3 के अनुसार	
9	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावक के पत्र-शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर सहित वचनबद्धता	प्रारूप-4 के अनुसार	
10	एमएसएमई प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो)		
11	व्यापार की योजना	योजना और कार्यान्वयन, उत्पादन, विपणन आदि पर एक संक्षिप्त अवधारणा नोट (5 पृष्ठों से अधिक नहीं)	

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते/करती हैं कि मैंने/हमने ईओआई अच्छे विश्वास से बनाई गई है और इसमें दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

मुहर:

स्थान:

स्वरूप -2

अभिरूचि की अभिव्यक्ति
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर जमा किया जाए)

सेवा में,

महानिदेशक,

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,

अंसारी नगर, नई दिल्ली।

विषय: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पत्र

संदर्भ: क्रमांक-5/7/10/आईसीएमआर-ईओआई/सीरम फेरिटिन/आरसीएन-2025 दिनांक 17.01.2025

महोदय,

यह पत्र सीरम फेरिटिन की मात्रा के निर्धारण के लिए लेटरल फ्लो आधारित प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस के विकास और निर्माण के लिए आपकी उपर्युक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के संदर्भ में है।

श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ ..... को इसके द्वारा ईओआई दस्तावेज़ जमा करने और मैसर्स..... (कंपनी का नाम).....की ओर से प्रसंस्करण में भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उनके हस्ताक्षर नीचे हैं।

(प्रतिनिधि के नमूना हस्ताक्षर)

तारीख:
स्थान:

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

मुहर:

स्थान:

प्रारूप-3

कालीसूची से संबंधित वचनबद्धता

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर जमा किया जाए)

सेवा में,

महानिदेशक,

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,

अंसारी नगर, नई दिल्ली।

विषय: काली सूची/प्रतिबंधन से संबंधित वचनबद्धता।

संदर्भ: क्रमांक-5/7/10/आईसीएमआर-ईओआई/सीरम फेरिटिन/आरसीएन-2025 दिनांक 17.01.2025

महोदय,

एतदद्वारा यह पुष्टी की जाती है और घोषणा की जाती है कि मेसर्स ..... (कंपनी का नाम) को लिए कार्य / निष्पादन / सेवाओं के लिए वर्तमान में किसी भी सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / या किसी अन्य कंपनी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है / प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

मुहर:

स्थान:

प्रारूप-4

दोषसिद्ध न होने से संबंधित वचनबद्धता

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर जमा किया जाए)

सेवा में,

महानिदेशक,

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,

अंसारी नगर, नई दिल्ली।

विषय: दोषसिद्ध न होने से संबंधित वचनबद्धता।

संदर्भ: क्रमांक-5/7/10/आईसीएमआर-ईओआई/सीरम फेरिटिन/आरसीएन-2025 दिनांक 17.01.2025

महोदय,

एतदद्वारा यह पुष्टि की जाती है और घोषणा की जाती है कि मैसर्स ..... (कंपनी का नाम) और फर्म का मालिक / निदेशक मंडल को पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में किसी भी सक्षम न्यायालय या न्यायिक निकाय द्वारा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

मुहर:

स्थान:

प्रारूप-5

प्रयोगशाला सुविधा से संबंधित वचनबद्धता

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर जमा किया जाए)

सेवा में,

महानिदेशक,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,
अंसारी नगर, नई दिल्ली।

विषय: प्रयोगशाला की अवसंरचना से संबंधित वचनबद्धता।

संदर्भ: क्रमांक-5/7/10/आईसीएमआर-ईओआई/सीरम फेरिटिन/आरसीएन-2025 दिनांक 17.01.2025

महोदय,

एतदद्वारा यह पुष्टि की जाती है और घोषणा की जाती है कि मैसर्स ..... (कंपनी का नाम) को

i पर्याप्त प्रयोगशाला की प्रर्याप्त अवसंरचना (सुसज्जित प्रयोगशाला सुविधा)। कृपया BSL-2/BSL-3/ABSL-3/GMP/GLP/अन्य* (यदि अन्य कोई हो तो कृपया विनिर्दिष्ट करें) पर टिक करें और

ii सीरम फेरिटिन की मात्रा के निर्धारण के लिए प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस विकसित करने के लिए एनीमियाफोन तकनीक पर आधारित डिवाइस के निर्माण/अनुसंधान/व्यावसायीकरण के लिए अनुभवी कर्मचारियों/दक्ष जनशक्ति की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की गई है।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

मुहर:

स्थान:

प्रारूप-6

उत्पादन क्षमता से संबंधित वचनबद्धता

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर जमा किया जाए)

सेवा में,

महानिदेशक,

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,

अंसारी नगर, नई दिल्ली।

विषय: उत्पादन क्षमता से संबंधित वचनबद्धता।

संदर्भ: क्रमांक-5/7/10/आईसीएमआर-ईओआई/सीरम फेरिटिन/आरसीएन-2025 दिनांक 17.01.2025

महोदय,

एतदद्वारा यह पुष्टि की जाती है और घोषणा की जाती है कि मैसर्स ..... में सीरम फेरिटिन की मात्रा निर्धारण के लिए लेटरल फ्लो आधारित प्वाइंट ऑफ केयर डिवाइस के विकास और विनिर्माण के लिए (प्रौद्योगिकी का नाम/उत्पादन, न्यूनतम.....(प्रति सप्ताह/प्रति माह मात्रा का उल्लेख करें) के लिए सभी माध्यमों (बुनियादी ढांचा, फंड्स, सामग्री, कर्मचारी आदि सहित) की क्षमता है।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

मुहर:

स्थान:

:

अनुसूची-क

प्रौद्योगिकी का विवरण

1) प्रौद्योगिकी/उत्पाद/प्रक्रिया के बारे में:

एनीमिया फोन सीरम फेरिटिन (एसएफ), घुलनशील ट्रांसफ़रिन रिसेप्टर (एसटीएफआर) और सी-रिएक्टिव प्रोटीन (सीआरपी) की मात्रा के आधार पर आयरन की स्थिति का आकलन करने के लिए न्यूनतम इनवेसिव, पॉइंट-ऑफ-केयर, कम लागत वाला, गैर-बुनियादी ढांचे पर निर्भर और अत्यधिक पोर्टेबल पॉइंट-ऑफ-केयर स्क्रीनिंग प्लेटफ़ॉर्म तैनात करता है। एनीमिया फोन तकनीक का विकास और परीक्षण कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सौरभ मेहता, डेविड एरिक्सन और जूलिया फिंकेलस्टीन की प्रयोगशालाओं में किया गया है और इस तकनीक को भारत में विकास, विनिर्माण और विस्तार के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को हस्तांतरित किया जाएगा।

2) सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी की आवश्यकता एवं उपयोगिता:

3) आयरन की कमी (आईडी) एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिसका मातृत्व एवं शिशु के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। दुर्भाग्यवश, स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच और जांच की उच्च लागत होने के कारण प्रायः जांच और निदान की अधिक व्यापक नैदानिक विधियों के बजाय हीमोग्लोबिन के स्तर तक ही सीमित रह जाता है। भारत अपने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से यथासंभव एनीमिया को कम करने और समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन प्रयासों से स्थानीय स्तर पर उत्पादित सस्ते आयरन की कमी की जांच में सहायता मिलेगी। कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने एनीमियाफोन प्रौद्योगिकी तक पहुंच और प्रौद्योगिकी में कुछ अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि इसे भारत में स्थानीय संदर्भ के अनुकूल बनाया जा सके और स्थानीय निर्माताओं के साथ मिलकर आयरन की कमी के लिए नैदानिक परीक्षणों की उपलब्धता का उत्पादन और पैमाने पर निर्माण किया जा सके, जिससे भारतीय जनता तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

i) प्रौद्योगिकी की तत्परता का स्तर (टीआरएल)

.....

ii) सत्यापन की स्थिति और परिणाम:

इस तकनीक को कॉर्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सौरभ मेहता, डेविड एरिकसन और जूलिया फिंकेलस्टीन की प्रयोगशालाओं में विकसित किया गया और परीक्षण किया गया है।

iii) आईपी भरने की स्थिति/प्रकाशन

.....

****